भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उ०प्र०)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

[illegible]

पत्र सं० क्षे०/यू०पी०/वन/54/2015/एफ.सी./[illegible]

दिनांक [illegible]

[illegible]

विषय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा डिस्टर्ट कर मोहल्ला के किनारे 6 मीटर डिस्पोजल एरीयेटेड वेस्ट के निर्माण हेतु 0.8448 हेक्टेयर संशोधित अनुमति के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्ष भूमि/पौधों के प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ : मेसर्स अधिशासी मुख्य मुख्य वन संरक्षक उत्तर प्रदेश की पत्र [illegible]/गाजियाबाद/16073/यूपीसी-172/2015, दिनांक- 30.11.2015

महोदय,

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible]
10. [illegible]
11. [illegible]
12. [illegible]
13. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक-मेगो-2/गाजियाबाद-16073/यूपी-172/2015, दिनांक, लखनऊ, जनवरी 01, 2016

प्रतिलिपि वन संरक्षक, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त कर लें एवं भारत सरकार द्वारा चिन्हित सूचना/अभिलेख पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा चिन्हित सूचना/अभिलेख पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, मेरठ को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा चिन्हित सूचना/अभिलेख प्रभागीय निदेशक, गाजियाबाद को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डा० राजीव कुमार गर्ग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ०प्र०, लखनऊ।